

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाडा

(पीठासीन अधिकारी एल0 आर0 गुगरवाल आर0ए0एस0)

एकरण संख्या - 19/2016 अपील

1. श्रीमती पुष्पा देवी शर्मा पुत्री स्व0 बनाम
मांगीलाल शर्मा निवासी लाखोला
तहसील सहाडा पत्नी शंभुलाल शर्मा
निवासी चिलेश्वर तहसील माण्डल
जिला भीलवाडा

1. श्री शान्ता देवी शर्मा पुत्री स्व. मांगीलाल शर्मा पत्नी रामस्वरूप शर्मा निवासी विजय नगर मार्फत शंभुलाल शर्मा निवासी चिलेश्वर तहसील माण्डल
2. विष्णु पुत्र मांगीलाल शर्मा निवासी लाखोला
3. श्रीमती तृप्ति देवी विधवा तेजमल शर्मा निवासी लाखोला
4. जगदीश चन्द्र पुत्र स्व0 मांगीलाल शर्मा निवासी लाखोला
5. अशोक पुत्र स्व0 मांगीलाल शर्मा निवासी लाखोला
6. सत्यनारायण पुत्र स्व. मांगीलाल शर्मा निवासी लाखोला
7. शंभुलाल पुत्र स्व0 मांगीलाल शर्मा निवासी लाखोला तह0 सहाडा जिला भीलवाडा

-अपीलाण्ट

- रेस्पोंडेण्ट्स

उपस्थित :-

1. श्री एम. एल बापना अधिवक्ता - अपीलार्थी की ओर से
2. विजय जीनगर अधिवक्ता - रेस्पोंडेण्ट की ओर से

अपील विरुद्ध आदेश नामान्तरकरण संख्या 117 ग्राम लाखोला तहसील सहाडा दिनांक 21.05.

1999 द्वारा तहसहीलदार सहाडा

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम

निर्णय

दिनांक 19.01.2017

अपीलार्थी की ओर से यह अपील विरुद्ध नामान्तरकरण सं. 117 पर पारित आदेश दिनांक 21.05.1999 अपील अन्तर्गत धारा 75 राज.भू.राजस्व अधिनियम के संबंध में प्रस्तुत की गयी है । अपील अपीलार्थी दिनांक 06.05.2016 को दर्ज रजिस्टर कर विपक्षी को वजह जाहिर हेतु नोटिस जारी किया गया । अपीलार्थी की अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलाण्ट व रेस्पोंडेण्ट सं. 1,2,4,5,6 स्व. मांगीलाल शर्मा निवासी लाखोला के प्रथम श्रेणी के वारिसान कायम मुकाम है । स्व. मांगीलाल का एक पुत्र तेजमल शर्मा और था जो फौत हो जाने से उसकी विधवा श्रीमती तृप्ति देवी को पक्षकार बनाया गया है । यह तृप्ति देवी स्व. मांगीलाल शर्मा की पुत्रवधु होकर प्रथम श्रेणी की वारिस है । आवेदन में प्रस्तुत सजरे अनुसार अपीलाण्ट स्व. मांगीलाल की सगी पुत्री होकर प्रथम श्रेणी की वारिस है उसे भी रेस्पोंडेण्ट के समान ही बराबर

का अधिकार होते हुए भी तत्कालिन पटवारी ने अपीलान्ट व रेस्पोजेण्ट सं. 01 का नाम सजरे में अंकित नहीं किया एवं न ही अपनी रिपोर्ट दिनांक 21.05.1999 में अंकित किया। साथ ही भू अभिलेख निरीक्षक सहाडा ने भी बिना रिपोर्ट देखे पटवारी हल्का की रिपोर्ट पर यकीन करके अपनी रिपोर्ट अंकित कर दी। तहसीलदार सहाडा ने भी मृतक मांगीलाल शर्मा निवासी सहाडा के सभी वारिसान कायम मुकाम की जांच किये बिना ही शिविर सहाडा में एक ही दिन दिनांक 21.05.1999 को ही नामान्तरकरण स्वीकृत कर दिया और अपीलान्ट तथा रेस्पोजेण्ट सं. 01 अन्य वारिसान की जांच किये बिना नामान्तरकरण स्वीकृत करने में भारी भूल की है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि अपीलान्ट मृतक मांगीलाल व मृतका कमला देवी की प्रथम श्रेणी की वारिस है और उसके तथा रेस्पोजेण्ट सं. 01 के नाम पर भी विरासत से नामान्तरकरण फैसल होना चाहिए। अपीलान्ट इन्तकाल सं. 117 में पक्षकार नहीं थी। रेस्पोजेण्ट के उजर को रफा करने के लिए एवं पीड़ित होने से धारा 96 जा.दी. का आवेदन अलग से प्रस्तुत है तथा मियाद अधिनियम की धारा 5 का आवेदन अलग से प्रस्तुत किया गया है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर ग्राम लाखोला का इन्तकाल सं. 117 निरस्त फरमाया जावे व अपीलान्ट को सुनवाई का न्यायहित में अवसर दिलाने हेतु पत्रावली रिमाण्ड फरमाई जावे।

अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सहाडा के नामान्तरकरण सं. 117 दिनांक 21.05.1999 की मूल पत्रावली पत्र क्रमांक 1923 दिनांक 14.12.16 से प्राप्त हुयी है।

रेस्पोजेण्ट सं. 03 की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत दिनांक 04.01.2017 को जवाब प्रस्तुत किया। जिसमें बताया गया कि इस प्रकरण में अपीलार्थी सं. 01 को कोई हक व अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। उक्त नामान्तरकरण सं. 117 दिनांक 21.05.1999 को फेसल हुए अरसा करीब 17 वर्ष हो गये हैं एवं अगर अपीलार्थी का कोई हित होता तो ग्राम पंचायत द्वारा विधि अनुसार कार्यवाही कर पक्षकार बनाये जाते परन्तु अपीलार्थी ने ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया कि जिससे यह माना जा सके कि अपीलार्थी स्व० मांगीलाल की पुत्री है एवं उनका उक्त सम्पत्तियां में कोई हक निहित है। जिससे अपीलार्थी को अपील प्रस्तुत करने का अधिकार नहीं है। अतः निवेदन है कि अपीलार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे। अपीलान्ट अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मेमों में अंकित बिन्दु सं.

1 से लगायत 12 के तथ्यों को दोहराते हुये बताया कि तहसीलदार सहाडा ने मृतक मांगीलाल शर्मा निवासी सहाडा के सभी वारिसान कायम मुकाम की जांच किये बिना ही शिविर लाखोला में एक ही दिन दिनांक 21.05.1999 को ही नामान्तरकरण स्वीकृत कर दिया और अपीलान्ट तथा रेस्पोजेण्ट सं. 01 अन्य वारिसान की जांच किये बिना नामान्तरकरण स्वीकृत करने में भारी भूल की है । अपीलान्ट की माता श्रीमती कमला देवी का निधन होने पर विरासत से इन्तकाल सं. 2799 दिनांक 20.01.2016 को उसमें अपीलान्ट व अन्य सभी रेस्पोजेण्ट्स के नाम पर विरासत से इन्तकाल फैसल किया गया । इसी प्रकार ग्राम सहाडा में भी अपीलान्ट की माता श्रीमती कमला देवी के फौत होने पर विरासत से इन्तकाल सं. 1427 दिनांक 05.01.2016 को फैसल किया गया । उसमें भी अपीलान्ट व सभी रेस्पोजेण्ट के नाम पर इन्तकाल फैसल किया गया । इस प्रकार यह स्पष्ट है कि अपीलान्ट मृतक मांगीलाल व मृतका कमला देवी की प्रथम श्रेणी की वारिस है और उसके तथा रेस्पोजेण्ट सं. 01 के नाम पर भी विरासत से नामान्तरकरण फैसल होना चाहिए । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर ग्राम सहाडा का इन्तकाल सं. 117 निरस्त फरमाया जावे व अपीलान्ट को सुनवाई का न्यायहित में अवसर दिलाने हेतु पत्रावली रिमाण्ड फरमाई जावे । अपीलान्ट अधिवक्ता ने अपील के समर्थन में विधिक दृष्टान्त क्रमशः आर.बी.जे.(16) 2009 पेज सं. 204 से लगायत 207 प्रस्तुत किये है ।

रेस्पोजेण्ट अधिवक्ता ने अपनी बहस में बताया कि अपीलार्थीया ने 17 वर्षों बाद उक्त नामान्तरण की अपील प्रस्तुत की है व 'डिले' का कोई संतोषप्रद कारण अपने प्रार्थना पत्र में प्रस्तुत नहीं किया है जिससे उक्त प्रार्थना पत्र खारिज होने योग्य है । प्रार्थीया का मौके पर कभी कब्जा नहीं रहा है तथा न प्रार्थीया का मृतक मांगीलाल की सम्पत्ति में कोई हक नहीं बनता है लेकिन प्रार्थीया ने विपक्षीगण को जलील व परेशान करने की गरज से झुठा प्रार्थना पत्र पेश किया है जो खारिज की जाने योग्य है । उक्त भूमि में दर्ज हिस्सेदारों के हिस्से बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा सहाडा के रहन है जिन्हें भी प्रक्षकार नहीं बनाये है तथा प्रार्थीया को उक्त रहन की जानकारी है जिससे भी प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र खारिज होने योग्य है । रेस्पोजेण्ट अधिवक्ता ने अपील के खण्डन में विधिक दृष्टान्त क्रमशः आर.आर.टी. 2006-07 (Supp.) पेज सं. 292 , आर.आर.टी. 2006-07 पेज सं. 261 प्रस्तुत किये है ।

उभयपक्षों की बहस पर मनन किया गया । पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया । सर्वप्रथम अपील मेमों में प्रार्थी की ओर

से प्रस्तुत परिसीमा अधिनियम धारा 5 के आवेदन पर मियाद के बिन्दु पर विचार किया जा रहा है। प्रार्थी ने मियाद के समर्थन में शपथ पत्र पेश किया है। न्यायहित में नैसर्गिक प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तों को दृष्टिगत रखा जाकर प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 परिसीमा अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा करते हुये अपील अपीलार्थी मियाद में शुमार करने के आदेश दिये जाते हैं। अपीलान्ट के व रेस्पोंडेण्ट सं. 1,2,4,5,6 के पिता तथा रेस्पोंडेण्ट सं. 03 श्रीमती तृप्ति देवी के ससुर श्री मांगीलाल शर्मा (सेवक) की दिनांक 14.05.1999 को मृत्यु होने के पश्चात् पक्षकारान के अलावा मांगीलाल की विधवा श्रीमती कमला देवी शर्मा वारिस मौजूद थी जिसकी भी मृत्यु हो चुकी है। इन्तकाल सं. 1427 दिनांक 05.01.2016 एवं इंतकाल सं. 2799 दिनांक 20.01.2016 के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलान्ट श्रीमती पुष्पा देवी मृतक मांगीलाल की जाईन्दा पुत्री है। अपीलान्ट की माता श्रीमती कमला देवी का निधन होने पर विरासत से इन्तकाल सं. 2799 दिनांक 20.01.2016 को उसमें अपीलान्ट व अन्य सभी रेस्पोंडेण्ट्स के नाम पर विरासत से इन्तकाल फैसल किया गया। इसी प्रकार ग्राम सहाडा में भी अपीलान्ट की माता श्रीमती कमला देवी के फौत होने पर विरासत से इन्तकाल सं. 1427 दिनांक 05.01.2016 को फैसल किया गया। उसमें भी अपीलान्ट व सभी रेस्पोंडेण्ट के नाम पर इन्तकाल फैसल किया गया। मृतक मांगीलाल शर्मा की विरासत में पटवारी हल्का सहाडा ने नामान्तरकरण सं. 117 दिनांक 21.05.1999 दायर कर जिसमें अपीलान्ट का नाम सजरे में अंकित नहीं किया जबकि अपीलान्ट श्रीमती पुष्पा देवी शर्मा मृतक मांगीलाल शर्मा की पुत्री होकर प्रथम श्रेणी की वारिस है। उसे भी रेस्पोंडेण्ट्स के समान अधिकार होते हुए भी पटवारी हल्का ने नामान्तरकरण में नाम दर्ज नहीं किया है। इस प्रकार अपीलान्ट मृतक मांगीलाल शर्मा की जाईन्दा पुत्री होकर प्रथम श्रेणी की वारिस होने से विरासत कार्यवाही में अपना नाम दर्ज कराने की अधिकारिणी है। रेस्पोंडेण्ट द्वारा प्रस्तुत विधिक दृष्टान्त इस अपील प्रकरण पर लागू नहीं होते हैं। अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत विधिक दृष्टान्त अपील के समर्थन में लागू होते हैं। अतः उक्त विवेचन के आधार पर अपीलान्ट की अपील स्वीकार योग्य ठहरती है। अत एव -

-: आदेश: -

अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है। ग्राम लाखोला तहसील सहाडा के नामान्तरकरण सं. 117 आदेश दिनांक 21.05.1999 तहसीलदार सहाडा कैम्प

सहाडा का खारिज किया जाता है एवं प्रकरण तहसीलदार सहाडा को रिमाण्ड किया जाकर आदेश दिये जाते है कि दोनों पक्षों को सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाकर विधि अनुसार मृतक मांगीलाल शर्मा के वारिसान संबंधी आदेश पारित करें एवं नामान्तरकरण निर्णित करें । निर्णय की प्रति के साथ तलबिदा रिकार्ड नामान्तरकरण सं. 117 तहसीलदार सहाडा को लौटाया जावे।

निर्णय आज दिनांक 19.01.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



19/01/17
(एल.आर.गुजरवाल)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
भीलवाड़ा (राज.)